राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 1142/2018

तारीख दायर :– 24.08.2018

प्रार्थी :–

सोहनसिंह पुत्र चिमनसिंहजी
जाति–पुरोहित निवासी–सोनाणा
तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी जिला पाली(राज.)
2. गुलाबसिंह पुत्र चिमनसिंहजी
3. नारायण सिंह पुत्र चिमनसिंहजी
4. सवाईसिंह पुत्र चिमनसिंह जी जातिगण–पुरोहित निवासीगण–सोनाणा तहसील देसूरी जिला–पाली (राज)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र शर्मा एवं श्री दिलीप व्यास अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री ध्यानचन्द जैन तहसीलदार देसूरी पैरोकार सरकार की ओर से।
3. श्री भरत कुमारर अधिवक्ता अप्रार्थी की संख्या 2 व 3 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 4 एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक 14.06.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा करणवा तहसील देसूरी मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगाय 4 की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी पुराना खसरा नम्बर 80 मी. रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम लगान रूपये 21.12 विधमान है। दौरान स्टेलमेंट पुराना खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 382 रकबा 3.22 हैक्टर किस्म बा.अ लगान रूपये 22.54 बने है। प्रमाण स्वरूप नामान्तरण संख्या 258 एव पुरानी जमाबन्दी खातौनी सवत 2035 से 2038 एव मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियां

पेज लगातार 2 पर...

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। वाद ग्रस्त आराजी पुराने खसरा न 80 मी. रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पिता चिमना पुत्र भीका कौम पुरोहित निवासी सोनाणा की खातेदारी थी। प्रार्थी के पिता चिमना के स्वर्गवास पश्चात उक्त आराजी का विरासत नामान्तरण संख्या 258 दिनांक 8.09.1977 के नियमानुसार चिमना जी के चारो पुत्र गण वारिसान उत्तराधिकारी गुलाब सिंह , नारायणसिंह , सवाईसिंह ,सोहनसिंह पि. चिमनसिंह प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2से 4 नाम स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम खातेदारी की दर्ज हुई। जो नामान्तरण एवं पुरानी जमाबन्दी से स्पष्ट है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी गत स्टेलमेंट से पूर्व की जमाबन्दी सवत 2035 से 2038 अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण संख्या 2 से 4की सयुक्त खातेदारी की थी। जिसमें इन चारो भाईया यानि प्रार्थी एव अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 का समान यानि प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा सयुक्त खातेदारी का विधमान था। उक्त जमाबन्दी के पश्चात नये सेटलमेन्ट की कार्यवाही अमल मे आई एवं सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं 2 से 4 की सयुक्त खातेदारी पुराने ख.न. 80 मी. रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा के नये ख.न. 382 रकबा 3.22 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान रूपया 22.54 बनाये जाकर सेटलमेण्ट की भूल एवं गलती से वादग्रस्त आराजी सिर्फ अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम ही तीसरा–तीसरा हिस्सा खातेदारी का दर्ज कर बना दी एवं पूर्व जमाबन्दी अनुसार प्रार्थी का नाम बतौर सहखातेदार के दर्ज नहीं किया गया एवं तत्पश्चात इसी अनुरूप आगे की जमाबन्दीया बनाई जाती रही जबकि सेटलमेण्ट के पूर्व के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी की है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। मात्र सेटलमेण्ट विभाग की भूल, त्रुटि एवं गलती से प्रार्थी का नाम दर्ज होने से रह गया। सेटलमेण्ट विभाग को पूर्व जमाबन्दी अनुसार दर्ज खातेदारों में से प्रार्थी सहखातेदार का नाम विलोपित करने का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं था।

सेटलमेण्ट विभाग की हुई भूल, त्रुटि एव गलती को सुधारा जाकर सेटलमेण्ट के पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड जमबान्दी सम्वत् 2035 से 2038 अनुासर आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का 1/4 हिस्से में नाम दर्ज करना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सेटलमेण्ट विभाग की इन्द्राजात संबधित लिपिकीय त्रुटि, भूल एवं गलती को सुधारा जाने हेतु आदेश प्रदान करावे कि मौजा सरहद ग्राम करणवा तहसील देसूरी में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 382 रकबा 3.2200 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपया 22.54 के राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के साथ बहिस्सा बराबर–बराबर के चौथा हिस्सा के सहखातेदार के रूप में प्रार्थी का नाम दर्ज किया जावें

पेज लगातार 3 पर...

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

अर्थात उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी गुलाबसिंह पुत्र चिमनसिंह हिस्सा 1/4, नारायणसिंह पुत्र चिमनसिंह हिस्सा 1/4, सवाईसिंह पुत्र चिमनसिंह हिस्सा 1/4, सोहनसिंह पुत्र चिमनसिंह हिस्सा 1/4 जातिगण पुरोहित सा. देह खातेदार के नाम भी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड के अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार देसूरी एंव पटवारी हल्का के नाम आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्राथीगण को नाटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई जवाब प्रस्तत नहीं करने से जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के साथ 1/4 हिस्सा के सहखातेदार प्रार्थी सोहनसिंह का नाम दर्ज किये जाने की इश्तदुआ की गई। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण एवं पैरोकार सरकार की बहस समाप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि सेटलमेण्ट विभाग की इन्द्रजा संबंधित लिपिकिय त्रुटि, भूल एवं गलती को सुधारा जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉड में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के साथ प्रार्थी सोहनसिंह को 1/4 हिस्सा का सहखातेदार दर्ज किया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के साथ प्रार्थी सोहनसिंह का नाम 1/4 हिस्सा का सहखातेदार दर्ज किया जाने की सहमति दी जाती है। पैरोकार सरकार तहसीलदार देसूरी ने दौराने बहस तर्क दिया कि सेटलमेण्ट के दौरान गत राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में चारों खातेदारान का नाम दर्ज किया जाना था, जो नहीं कर मिसल बन्दोवस्त सम्वत् 2041 से 2060 में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश रह गया। जिसकी दुरस्ती न्याय संगत है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तरकरण जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 मिलान क्षेत्रफल, मिसल बन्दोवस्त सम्वत् 2041 से 2060 वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 एवं प्रस्तुत इकबालिया जवाब अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का अवलोकन करने से इस स्टेज पर पहुचते है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 80 मी. रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी थी, जो कि गत जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 से स्पष्ट है। जिसमें प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा सयुक्त खातेदारी का था। तत्पश्चात नये सेटलमेण्ट के दौरान नई मिसल बन्दोवस्त सम्वत् 2041 से 2060 बनी। नये खसरा नम्बर 382 रकबा 3.2200 हेक्टर बनाये गये तथा सेटलमेण्ट की भूल एवं त्रुटि से अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम ही तीसरा–तीसरा हिस्सा दर्ज कर पूर्व जमाबन्दी अनुरूप प्रार्थी का नाम बतौर सहखातेदार में दर्ज नहीं किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

पेज लगातार 4 पर...

गत खसरा नम्बर से वर्तमान खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल से मिलान सही होना जाहिर है। विधि अनुरूप गत जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज को वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज किया जाने था। सेटलमेण्ट विभाग को प्रार्थी सहखातेदार का नाम विलोपित करने का हक अधिकार नहीं है। सेलटलमेण्ट विभाग की भूल व त्रुटिवश प्रार्थी का नाम 1/4 हिस्से की सहखातेदारी में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाना जाहिर है, जिसकी दुरस्ती आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 उपरोक्त विवेचन से स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। जो clerical error and admitted error की तारीफ में आता है। सेटलमेण्ट विभाग के लिपिकीय त्रुटि की दुरस्ती की जाकर ग्राम मौजा करणवा तहसील देसूरी में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 382 रकबा 3.2200 हेक्टर किस्म बा.अ. लगान रूपया 22.54 के वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के साथ सहखातेदार के प्रार्थी का नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी गुलाबसिंह का 1/4 हि., नारायणसिंह का 1/4 हि., सवाईसिंह का 1/4 हि., सोहनसिंह पि. चिमनसिंह का 1/4 हिस्सा जातिगण पुरोहित सा.देह खातेदार के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार देसूरी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे तहरीर के साथ आदेश की प्रति अमल दरामद हेतु भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)